(#6) (60)

पत्रांक–7 / सी0सी0ए0–10–55 / 2013, गृ0आ0 6336 /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

कौशलेन्द्र पाठक,
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार,
सभी जिला पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक 03 सितम्बर, 2015

विषय :– बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के धारा 12 (2) के अंतर्गत स्वीकृत निरूद्धादेश के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2053, दिनांक–13 मार्च, .2013, पत्रांक 1270, दिनांक–20 फरवरी, 2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विभाग के प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करें। विभागीय पत्रांक 1270, दिनांक–20 फरवरी, 2013 के द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के धारा 12 (2) के अंतर्गत अपराधियों जिनसे लोकशांति भंग होती है, के विरूद्ध निरूद्धादेश निर्गत करने के पूर्व कतिपय आवश्यक बिन्दुओं को ध्यान में रखने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना से प्राप्त सुझाव को आपको प्रेषित किया गया था। इसके पश्चात् पुनः विभागीय पत्रांक 2053, दिनांक–13 मार्च, 2013 के द्वारा इस अधिनियम के सशक्त एवं प्रभावी ढंग से उपयोग के संबंध में निर्गत किये गये पत्रांक 3985, दिनांक 02.05.2005 एवं पत्रांक 12751, दिनांक 29.12.2005 की प्रति संलग्न करते हुए कई महत्वपूर्ण निदेश दिये गये थे तथा अनुरोध किया गया था कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 (2) का उपयोग करते समय इन पत्रों में वर्णित तथ्यों पर अनिवार्य रूप से विचार करते हुए तदनुसार तथ्यों को निरूद्धादेश में अंकित किया जाय। विषयांकित दोनों पत्रों की छायाप्रति अनुलग्नक सहित पुनः संलग्न की जा रही है।

वर्त्तमान समय में जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उसमें इस निदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप एडवाईजरी बोर्ड में कई मामलों में निरूद्धादेश को सम्पुष्ट नहीं किया गया है। एडवाईजरी बोर्ड के पिछले बैठक में यह भी बतलाया गया कि कुछ जिलों से प्रस्ताव के साथ चेक स्लीप प्राप्त होते हैं तथा कुछ के साथ नहीं। सभी प्रस्तावों के साथ चेक स्लीप भी भेजा जाना आवश्यक है। चेक स्लीप का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत निरूद्धादेश निर्गत करते समय विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए चेक स्लीप के साथ प्रस्ताव भेजने की कृपा करें।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

3/9/2015

सरकार के अपर सचिव।

16

पत्र संख्या – 7 / सी0सी0ए0–10–18 / 2012 गृ0आ0 2053 (59)

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार,
सभी जिला पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक – 13- मार्च, 2013

विषयः– बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंध में सामान्य निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज में अशांति फैलाने वाले एवं लोक व्यवस्था भंग करने वाले पेशेवर / आदतन अपराधियों के कुकृत्यों को नियंत्रित करने के लिये ही सरकार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया है। परंतु राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा करने से ज्ञात हुआ है कि इस अधिनियम का जिला दंडाधिकारियों द्वारा सशक्त एवं प्रभावी ढ़ंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा निरूद्ध बंदियों की ओर से दाखिल याचिकाएँ अनेक अवसरों पर तकनीकी त्रुटियों के कारण स्वीकार कर निरूद्ध बंदियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया।

2. गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पत्रांक – 3985 दि0 – 02.05.05 तथा पत्रांक – 12751 दि0 – 29.12.05 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस अधिनियम के सशक्त एवं प्रभावी उपयोग के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं।

3. निरूद्ध बंदियों द्वारा दायर अपराधिक याचिकाओं के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने से ज्ञात हुआ है कि अनेक अवसरों पर जिला पदाधिकारियों द्वारा जारी निरूद्धादेश में तकनीकी खामियाँ रह जाती हैं जिसका प्रत्यक्ष लाभ निरूद्ध बंदियों को मिल जाता है। अतः निरूद्धादेश का आधार बनाते समय तथा प्रक्रिया का पालन करते समय थोड़ी तकनीकी सावधानी बरती जाये तो निरूद्धादेश पर माननीय न्यायालय का अनुकूल अभिमत प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।

4. माननीय पटना उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल रिट सं0 – 1030 / 2012, मिस्टर यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में दि0 – 19.12.12 को पारित न्यायादेश के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निरूद्धादेश पारित करते समय जिला पदाधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों को इंगित करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

(58)

5. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की समीक्षोपरांत राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के सशक्त एवं प्रभावी उपयोग करने हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर जिला दण्डाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है ;

(i) निरूद्ध किये जाने वाला अपराधी यदि पूर्व से ही कारा में संसीमित हो तो निरूद्धादेश में यह तथ्य अवश्य अंकित किया जाये। निरूद्ध किये जाने वाला अपराधी जिन मामलों में कारा में संसीमित है उन सभी मामलों की अद्यतन स्थिति का स्पष्ट उल्लेख निरूद्धादेश में किया जाये।

(ii) निरूद्ध किये जाने वाला अपराधी जिन मामलों में जमानत पर मुक्त किया गया है अथवा उसकी रिहाई हो चुकी है का स्पष्ट उल्लेख निरूद्धादेश में किया जाये।

(iii) निरूद्ध किये जाने वाला अपराधी ने किन–किन मामलों में जमानत आवेदन सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किया है अथवा उसका जमानत आवेदन सुनवाई हेतु लंबित है के संबंध में अद्यतन एवं पूर्ण तथ्यों का उल्लेख निरूद्धादेश में किया जाये। निरूद्ध किये जाने वाले अपराधी ने यदि कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया हो किंतु उसी कांड में सह अभियुक्त को जमानत दे दी गई हो तो सह अभियुक्त के जमानत आवेदन की संख्या, आदेश की तिथि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख निरूद्धादेश में किया जाना आवश्यक है निरूद्धादेश पारित करने वाले पदाधिकारी के समक्ष निरूद्ध किये जाने वाले व्यक्ति के कार में संसीमित होने के संबंध में अद्यतन जानकारी तथा उसके जमानत पर मुक्त होकर अथव रिहा होकर कारा से बाहर होने की संभावना से संबंधित सभी अद्यतन तथ्य का स्पष उल्लेख निरूद्धादेश में किया जाये।

(iv) निरूद्धादेश में इस तथ्य का प्रमाणित साक्ष्यों सहित स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए f निरूद्ध किये जाने वाले अपराधी जमानत पाकर अथवा रिहा होकर कारा से बाहर आने प पुनः ऐसे कार्यों में लिप्त होने की प्रबल संभावना है जिनसे लोक व्यवस्था एवं प्रशांति प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी। निरूद्धादेश पारित करने वाले अधिकारी उन साक्ष्यों एवं तथ्यों पर स्पष्ट उल्लेख करेंगें जिन पर विचारोपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बिहार अप नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाये रखने हेतु अपराधी निरूद्ध किया जाना अनिवार्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1 की धारा 12 (2) का उपयोग सभी जिला दंडाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्प एवं दृढ़ता से किया जाये।

अनुरोध है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 12 (2) का उप करने के क्रम में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाये निरूद्धादेश में तदनुसार तथ्यों को अंकित किया जाये।

विश्वासभाजन

13/3

सरकार के अपर

/स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या– 7/विविध–1052/2007 गृ0आ0 1270

बिहार, सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–20-फरवरी 2013

विषय :– निरुद्धादेश के संबंध में दिशा निदेश।

प्रसंग :– महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार के पत्रांक–1536 दिनांक 11.02.2013.

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि पत्र में उल्लेखित निदेश का निरुद्धादेश जारी करते समय इसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

अनु0 :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.2.13.

सरकार के अपर सचिव

Letter No. 1536 /Patna Dated 8th February, 2013

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, BIHAR
HIGH COURT, PATNA

From:-
R.B. Mahto
Advocate General, Bihar

To,
The Principal Secretary,
Department of Home,
Govt. of Bihar, Patna

Ref: - Matters relating to Preventive Detention.

It may bring to your notice that after Judicial Pronouncement of Hon'ble Apex Court in several cases particularly the judgment reported in 2011(5) SCC 244 Rekha Vs. State of Tamilnadu, sea change has taken place in legal field of preventive detention. The relevant paragraph of above-mentioned judgment is quoted for your ready reference.

"Para-10. In our opinion, if details are given by the respondent authority about the alleged bail orders in similar cases mentioning the date of the orders, the bail application number, whether the bail order was passed in respect of the co-accused in the same case, and whether the case of the co-accused was on the same footing as the case of the petitioner, then, of course, it could be argued that there is likelihood of the accused being released on bail, because it is the normal practice of most Courts that if a co-accused has been granted bail and his case is on the same footing as that of the petitioner, then the petitioner is ordinarily granted bail. However, the respondent authority should have given details about the alleged bail order in similar cases, which has not been done in the present case. A mere ipse dixit statement in the grounds of detention cannot sustain the detention order and has to be ignored."

"Para-11. In our opinion, the detention order in question only contains ipse dixit regarding the alleged imminent possibility of the accused coming out on bail and there was no reliable material to this effect. Hence, the detention order in question cannot be sustained."

"Para-27. In our opinion, there is a real possibility of release of a person on bail who is already in custody provided he has moved a bail application which is pending. It follows logically that if no bail application is pending, then there is no likelihood of the person in custody being released on bail, and hence the detention order will be illegal. However, there can be an exception to this rule, that is, where a co-accused whose case stands on the same footing had been granted bail. In such cases, the detaining authority can reasonably conclude that there is likelihood of the detenu being released on bail even though no bail application of his is pending, since most Courts normally grant bail on this ground. However,

***details of such alleged similar cases must be given, otherwise the bald statement of the authority cannot be believed.* "**

In view of the above-said observation made by Hon'ble Apex Court the detaining authority is required to write in his preventive detention order as in which case petitioner has applied for bail, in which case his bail application has been rejected or other co-accused has been granted bail so that there is likelihood chance that when bail application shall be filed by the petitioner he will be released on bail.

There are so many cases which are coming to Patna High Court in which cases are being allowed and preventive detention order passed by the District Magistrate are being quashed on the ground that the District Magistrate has not recorded the details as mentioned above so that he can come to satisfaction that there is likelihood chance of petitioner to release on bail.

It is, therefore, necessary to circulate a fresh guideline to all the District magistrates in light of judgment passed by Hon'ble Apex Court in Rekha case (supra) so that the order of preventive detention passed by the District Magistrate could not suffer from such kind of illegality and may be sustained before Court of Law.

This is for your information and necessary action.

RB Mahto 11-2-2013

(R.B. Mahto)
Advocate General, Bihar

पी०क०/निर्मा

पत्रांक - 7 /सी0सी0ए0 -1045/2004 - 1275 ।

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

श्री कृपा नाथ झा
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005

विषय :- बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 (अधि0- 7/81) की धारा 12 (2) के सशक्त उपयोग हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अधिनियम को सख्ती से लागु करने के सम्बंध में ।

प्रसंग :- इस विभाग का पत्रांक 3985 दिनांक 2.0.05.2005

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 (2) के सशक्त उपयोग हेतु अधिनियम को सख्ती से लागु करने के सम्बंध में विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मार्ग दर्शन सिद्धांत निर्गत किये गये हैं। उक्त मार्ग दर्शन की कंडिका 5.17 में निरूद्धबन्दी से प्राप्त अभ्यावेदन पर मंतव्य देने के सम्बंध में जिला दण्डाधिकारी को दो दिनों (48 घंटे) के अन्दर अपना मंतव्य समर्पित करने का निदेश दिया गया था । परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि निरूद्ध बन्दी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का निष्पादन विलम्ब से होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित निरूद्धादेश को निरस्त कर दिया जाता है । अर्थात निष्पादन में विलम्ब का मुख्य कारण निरूद्धबन्दी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर जिला दण्डाधिकारियों का मंतव्य विलम्ब से प्राप्त होना है ।

उल्लेखनीय है कि उक्त मार्गदर्शन की प्रति सभी दण्डाधिकारियों एवं सभी आरक्षी अधीक्षकों को दी गयी थी किंतु उनके द्वारा उक्त निर्देश का सही रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और प्रायः मंतव्य देने में काफी विलम्ब किया जाता है । फलतः अभ्यावेदन पर सरकार का आदेश प्राप्त करने में विलम्ब हो जाता है ।

जिला दण्दाधिकारियों द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 (2) के तहत पारित निरूद्धादेश पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विभागीय आदेश में भी सभी जिला दण्डाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि निरूद्धबन्दी से अभ्यावेदन प्राप्त होते ही दो दिनों के अन्दर अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध करा दें किंतु व्यवहारिक रूप से इसका कार्यावयन नहीं हो पाने के कारण निरूद्धादेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः सभी जिला दण्डाधिकारियों एवं सभी आरक्षी अधीक्षकों को विभागीय पत्रांक 3985 दिनांक 2-05-05 के क्रम में पुनः यह निदेशित किया जाता है कि निरूद्धबन्दी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर दो दिनों (48घंटे) के अन्दर वे अपना मतव्य विभाग को उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनका मंतव्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभाग अपने स्तर से अभ्यावेदन का निष्पादन करने की कर्रवाई करेगा ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें एवं सर्वोच्च प्रथमिकता दें ।

विश्वासभजन,

29/12

(कृपा नाथ झा)
सरकार के उप सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग,बिहार,पटना ।

(13)

पत्रांक -7/सी0सी0एस0-1045/2004- 3985

बिहार सरकार,
गृह (आरक्षी) विभाग।

प्रेषक,

श्री गिरीश शंकर,
गृह सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2005.

विषय :- बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (अधि0-7/81) की धारा 12(2) के सशक्त उपयोग हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन एवं अधिनियम को सख्ती से लागू करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 (अधि0-7/81) की धारा 12(2) के अन्तर्गत समय-समय पर सभी जिला दण्डाधिकारीयों को सरकार द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती रही हैं। समाज में अशान्ति फैलाने वाले एवं लोक व्यवस्था भंग करने वाले पेशेवर अपराधियों के कुकृत्यों को नियंत्रित करने के लिए ही सरकार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया है, परन्तु राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा करने से ज्ञात हुआ है कि इस अधिनियम का जिला दण्डाधिकारियों द्वारा सशक्त रूप में पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से उग्रवाद प्रभावित जिलों में चिन्हित उग्रवादियों के विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कारगर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2. चूँकि लोक व्यवस्था का संबंध प्रत्यक्ष रूप से पुलिस प्रशासन से है, इसलिए सभी आरक्षी अधीक्षक का यह दायित्व है कि इस अधिनियम के उपयोग में दिलचस्पी लें।

3. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुछ आवश्यक संशोधन बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 1993 के द्वारा किये गये हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

4. निरूद्ध बंदियों के मामलों की सुनवाई हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा गठित परामर्शदाता पर्षद द्वारा कई मामलों में प्रतिकूल अभिमत दिये जाने के कारण सरकार को निरूद्धादेश को विखंडित करना पड़ता है। अतः

(12)

निरूद्धादेशों का आधार बनाते समय थोड़ी तकनीकि दृष्टि रखी जाय तो निरूद्धादेशों पर परामर्शदात्री पर्षद का अनुकूल अभिमत प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।

5. पूर्व निर्गत निरूद्धादेशों में पायी गयी त्रुटियों की समीक्षोपरान्त राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के उपयोग को सशक्त एवं प्रभावी करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की ओर जिला दण्डाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है:-

5.1 सामान्यत: दो वर्षों के अन्दर के काण्डों को ही निरूद्धादेश का आधार बनाया जाय।

5.2 दो वर्षों से अधिक पुराने काण्डों को निरूद्धादेश के आधार में निरूद्ध बंदी के पूर्व अपराधिक इतिहास केरूपमें दर्शाया जाये।

5.3 निरूद्धादेश के आधार में कम से कम दो काण्डों का उल्लेख आवश्यक है। अपराध का प्रकार यदि साम्प्रदायिक या अत्यन्त गंभीर हो तो एक काण्ड भी मान्य हो सकता है।

5.4 प्रत्येक काण्ड का पूर्ण विवरण आधार में अंकित कियाजाय, जैसे घटनास्थल घटना का समय एवं तिथि, घटना का प्रकार, घटना घटित करने वाले का नाम, घटना से प्रभावित व्यक्ति का नाम एवं पता, अगर कोई साक्ष्य हो तो उसका ब्यौरा।

5.5 निरूद्ध किये जाने वाले अपराधकर्मी को प्राथमिकी अभियुक्त होना आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो निरूद्ध बंदी के विरूद्धपर्याप्त साक्ष्य का उल्लेख होना आवश्यक है।

5.6 मात्र आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज काण्डों को निरूद्धादेश का आधार नहीं बनाया जाय। आर्म्स एक्ट केअन्तर्गत कोर्ट का आदेश होने पर ही उसे आधार बनाया जा सकता है। सनहा को भी निरूद्धादेश का आधार के रूप मेंप्रयोग नहीं किया जाय।

5.7 निरूद्ध किये जाने वाले अपराधी यदि पूर्व से कारा से संसीमित हो, तब तक निरूद्धादेश जारी नहीं किया जायजब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाय कि उसने जमानत की अर्जी न्यायालय में दाखिल कर दी है और उसके जमानत पर छुटने की संभावना है। इस बात का उल्लेख निरूद्धादेश में होना आवश्यक है।

5.8 अगर निरूद्धादेश जारी कर दिया गया हो तो पूर्व से कारा में संसीमित निरूद्धी पर निरूद्धादेश का तामिला तुरत कराया जाय।

क्र0पृ030---3/

व 2 हैं दि 3. सं जि या ये

5.9 जो अपराधी कारा में संसीमित नहीं हो, उसके विरूद्ध भी निरूद्धादेश जारी कर उसे इस अधिनियम के तहत तुरत गिरफ्तार किया जाय ताकि निरूद्धादेश प्रभावी हो सके। अगर तुरत गिरफ्तार सम्भव नहीं हो तो अधिनियम की धारा/6 के तहत कार्रवाई कर कुर्की जप्ती आदि किये जायें। निरूद्धादेश निर्गत होने के तुरत बाद गिरफ्तार नहीं होने से उसकी उपयोगिता संदिग्ध हो जाती है।

5.10 निरूद्धादेश के आधार में अंकित काण्डों से संबंधित प्रतिलिपि सभी संबंधित कागजातों के साथ निरूद्धी पर तुरत तामिला कराया जाय। निरूद्धादेश एवं आधार के साथ सभी संबंधित कागजातों को निरूद्धी को प्राप्त कराये जाने का उल्लेख तामिला प्रतिवेदन में होना आवश्यक है।

5.11 निरूद्धादेश :अंग्रेजी एवं हिन्दी:, निरूद्धादेश के आधार :अंग्रेजी एवं हिन्दी: एवं अन्य सभी संबंधित कागजात की चार प्रतियाँ :स्पष्ट एवं पठनीय: विशेषदूत के माध्यम से सरकार को तुरत उपलब्ध करायी जाय ताकि निरूद्धादेश पर अधिनियम की धारा :2:3: के तहत निरूद्धादेश निर्गत होने की तिथि से :2:बारह: दिनों के अन्दर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

5.12 निरूद्धादेश, निरूद्धादेश के आधार एवं अन्य कागजातों को निरूद्धी पर तामिला से संबंधित प्रतिवेदन एवं उसकी प्रति तुरत सरकार को उपलब्ध करायी जाय ताकि अधिनियम की धारा :9 के तहत मामला परामर्शदातृ पर्षद के सुनवाई हेतु समय सीमा के अन्दर भेजा जा सके।

5.13 निरूद्धादेश के आधार में अंकित काण्डों में अभियुक्त द्वारा अनुसंधानकर्त्ता के समक्ष अपने ब्यान में निरूद्धी को अपने सह अभियुक्त के रूप में नाम बताया जाता है किन्तु पुलिस के समक्ष दिये गये ब्यान न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। इसलिए इस तरह का ब्यान यथाशीघ्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष दर्ज करायी जाय।

5.14 परामर्शदातृ पर्षद की बैठक में सुनवाई के लिए आते समय लोक अभियोजक सहायक अभियोजन पदाधिकारी से विस्तृत सूचना प्राप्त कर ली जाय कि निरूद्धी किन-किन काण्डों में जमानत पर है, किन-किन काण्डों में जमानत के लिए आवेदन दाखिल कर चुका है तथा उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। इसकी भी सूचना प्राप्त कर ली जाय कि निरूद्धी किस काण्ड में सर्वप्रथम कारा में संसीमित हुआ है तथा अभी किन-किन काण्डों में कारा में संसीमित है।

कृ०पृ०उ०---4/

(10)

5.15 इस तरह के काण्ड भी निरूद्धादेश के आधार में दर्ज किये जाते जिसके गवाह द्वारा कहा जाता है कि अभियुक्त का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन अभियुक्त को देख कर पहचान सकते हैं। ऐसे मामले में अगर टी0आई0पैरेड नहीं कराया जाता है तो वह आधार अमान्य हो जाता है। ऐसे मामले में टी0आई0पैरेड निश्चित रूप से कराया जाय।

5.16 निरूद्धादेश के आधार में निरूद्धी को कारा अधीक्षक के माध्यम से अभ्यावेदन देने का अवसर देने का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

5.17 कारा अधीक्षक से अभ्यावेदन प्राप्त होते ही जिला दण्डाधिकारी अविलम्ब अपना मंतव्य सरकार को विशेष संवाद/विशेषदूत के माध्यम से भेज देंगे। अभ्यावेदन पर मंतव्य अधिक से अधिक दो दिनों (48 घंटे) के अन्दर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

उपर्युक्त सरकारी निर्देशों को चक्र चालित कराकर आरक्षी-अधीक्षक इसकी प्रति अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी अपर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक/आरक्षी निरीक्षक एवं थाना प्रभारी को परिचालित करें ताकि सभी स्तर पर अधिनियम की जानकारी हो सके तथा कड़ाई से इसका पालन किया जा सके।

आरक्षी अधीक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी आरक्षी पदाधिकारियों को इस अधिनियम की धारा (12(2)) के तहत आपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दें।

अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों की आवश्यक समीक्षा के पश्चात आरक्षी अधीक्षक, जिला दण्डाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करेंगे तथा जिला दण्डाधिकारी प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की समीक्षोपरान्त अपने स्तर से तुरत कार्रवाई करेंगे तथा सरकार का अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त करेंगे। यदि प्रस्ताव में त्रुटि हो, तो जिला दंडाधिकारी उसे इंगित करते हुए आरक्षी अधीक्षक को सत अपना मंतव्य भेजेंगे।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा (12(2)) का उपयोग सभी जिला दण्डाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक द्वारा तत्परता एवं दृढ़ता से किया जाय तथा प्रत्येक माह में संलग्न विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(गिरीश शंकर)
गृह सचिव, बिहार।

कृ0पृ0उ0----5/

ईमेल

पत्र संख्या–7 / सी0सी0ए0–1045 / 2004 गृ0आ0 **2913** /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक **07 अप्रैल, 2017**

विषयः– **बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12(2) के अन्तर्गत निरूद्ध किये गये व्यक्तियों को निरूद्धादेश के विरूद्ध अभ्यावेदन देने के उनके अधिकार को संसूचित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12(2) के अन्तर्गत निरूद्ध किये गये व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) में निरूद्धादेश के विरूद्ध अभ्यावेदन समर्पित करने तथा अभ्यावेदन का अविलम्ब निष्पादन किये जाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद–22(5) में प्रावधान है कि :–

"When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमलेश कुमार ईश्वर दास पटेल के मामले में (1995) 4 SSC 51 में यह निदेश दिया है कि निरूद्धी के अभ्यावेदन का निष्पादन करने वाले सक्षम प्राधिकार का उल्लेख निरूद्धादेश में निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि निरूद्धादेश में उस प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख हो जिन्हें संबोधित कर निरूद्धी अपना अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकार को काराधीक्षक के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं, जिससे माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि बिहार अपराध अधिनियम, 1981 की धारा 12(2) के तहत पारित निरूद्धादेश में जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि यदि निरुद्धी चाहें तो वे निरुद्धादेश के विरुद्ध अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को संबोधित अभ्यावेदन कारा अधीक्षक के माध्यम से सक्षम प्राधिकार यथा राज्य सरकार को समर्पित कर सकते हैं। काराधीक्षक द्वारा निरूद्धी के अभ्यावेदन को विभाग को प्रेषित करने तथा अभ्यावेदन पर जिला दण्डाधिकारी का मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व के विभागीय निर्देश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव